As per Office Order no F72608 dated 20-01-2016, Green category industries are issued consent to operate licenses for a period of 5 Years (refer http://www.uppcb.com/pdf/memorandum_jan2516.pdf) (Attached).

The state had a provision for 15/10/5 years for Green/Orange/ Red category industries respectively as per office order no F59281 dated 23rd April 2015 (attached). However in accordance with the guidelines received from National Green Tribunal and Central Pollution Control Board, new validity period with only Green industries having consent validity of more than 5 years are granted.

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी.सी.–१२वी., विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

F-72608

संख्या– /३२/२०१६/ दिनांक– 20-1-16

## कार्यालय–ज्ञाप

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय–समय पर पारित आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा विभिन्न प्रदूषणकारी इकाईयों हेतु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ किए जाने, उत्प्रवाह की मात्रा को समयबद्ध रूप से कम किए जाने तथा उद्योगों द्वारा शुद्धिकृत उत्प्रवाह का पुनः प्रयोग कर, शून्य उत्प्रवाह व्यवस्था स्थापित करने के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए हैं। उक्त परिप्रेक्ष्य में निर्देशों के समयबद्ध अनुपालन को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा पूर्व निर्गत कार्यालय–ज्ञाप संख्या–एफ ५६२८१/३२/२०१५, दिनॉक २३–०४–२०१५ का अतिक्रमण करते हुए तात्कालिक प्रभाव से एतद्द्वारा विभिन्न श्रेणी के उद्योगों को बोर्ड द्वारा एक साथ प्रदान की जाने वाली सहमति अवधि निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–

| क्र0सं0 | विवरण | निर्णित सहमति की अवधि |
|---|---|---|
| 1– | लाल श्रेणी के प्रदूषकारी उद्योग | 02 वर्ष |
| 2– | नारंगी श्रेणी के उद्योग | 03 वर्ष |
| 3– | हरी श्रेणी के उद्योग | 05 वर्ष |

उपरोक्तानुसार उद्योगों से सहमति प्राप्त करने संबंधी पूर्व निर्धारित प्रपत्र में जितनी अवधि हेतु सहमति आवेदित की जाती है, उतनी अवधि का निर्धारित सहमति शुल्क एक साथ देय होगा तथा सामान्य परिस्थिति में उपरोक्तानुसार अंकित अधिकतम अवधि हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त सहमति आदेश निर्गत किया जाएगा।

उपरोक्त कार्यवाही के अतिरिक्त संबंधित इकाई का समय–समय पर अनुश्रवण किया जाना व सहमति शर्तों की अवहेलना की स्थिति में सुसंगत अधिनियमों के अन्तर्गत सहमति खण्डित भी की जा सकेगी।

उपरोक्त आदेश तुरन्त से प्रभावी होंगे।

(संजीव सरन)
अध्यक्ष

**पृ० सं० एवं दिनांक– उपरोक्तानुसार।**

**प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

१. अध्यक्ष महोदय के निजी सहायक।
२. बोर्ड मुख्यालय के समस्त इकाईयों के नियंत्रक अधिकारी/ समस्त क्षेत्रीय अधिकारी।
३. वेब मास्टर, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
४. गार्ड फाइल।

(एस० सी० यादव)
सदस्य–सचिव

उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
टी.सी.–१२वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

15921281

संख्या– /३२/२०१५/ दिनांक– 23-5-15

## कार्यालय–ज्ञाप

प्रदेश में अधिकाधिक उद्योगों की स्थापना हेतु उद्योगपरक वातावरण प्रदान करने हेतु उत्तम प्रक्रियाओं को अपनाने के उद्देश्य से भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डी.आई.पी.पी.) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा "Best practices to improve the business environment across states in India" विषय पर सभी राज्यों को उद्यमियों को उद्यम लगाने हेतु अनुकूल वातावरण सृजित करने के दृष्टिगत अन्य प्रदेशों द्वारा अपनाई जा रही उत्तम प्रक्रियाओं को समस्त प्रदेशों में लागू करने की अपेक्षा की गयी है अतः उक्त के संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त कार्यालय आदेशों का अतिक्रमण करते हुए एतद्द्वारा विभिन्न श्रेणी के उद्योगों हेतु सहमति अवधि निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

| क्र0सं0 | विवरण | निर्णित सहमति की अवधि |
|---|---|---|
| 1– | **लाल श्रेणी के प्रदूषकारी उद्योग** | **05 वर्ष** |
| 2– | **नारंगी श्रेणी के उद्योग** | **10 वर्ष** |
| 3– | **हरी श्रेणी के उद्योग** | **15 वर्ष** |

उपरोक्तानुसार उद्योगों से सहमति प्राप्त करने संबंधी पूर्व निर्धारित प्रपत्र में जितनी अवधि हेतु सहमति आवेदित की जाती है, उतनी अवधि का निर्धारित सहमति शुल्क एक साथ देय होगा तथा सामान्य परिस्थिति में उपरोक्तानुसार अंकित अधिकतम अवधि हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त सहमति आदेश निर्गत किया जाएगा।

उपरोक्त आदेश तुरन्त से प्रभावी होंगे।

(सैयद जावेद अब्बास)
अध्यक्ष

पृ० सं० एवं दिनांक– उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. अध्यक्ष महोदय के निजी सचिव।
२. बोर्ड मुख्यालय के समस्त इकाईयों के नियंत्रक अधिकारी/ समस्त क्षेत्रीय अधिकारी।
३. गार्ड फाइल।

(जे० एस० यादव)
सदस्य–सचिव

O/c